संख्या:26/2022/77/35-4-2022

प्रेषक,

विवेक,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

जिलाधिकारी,
अम्बेडकरनगर।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 20 जनवरी, 2022

विषय: वित्तीय वर्ष 2021-22 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत जनपद अम्बेडकरनगर में शासनादेश संख्या-67/2021/808/35-4-2021 दिनांक 25 मार्च,2021 द्वारा सड़क निर्माण से सम्बंधित 01 कार्य की रू. 67.10 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 33.55 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर के पत्र संख्या-1269/ग्रा0अभि0वि0/त्व0आ0वि0यो0/किस्त-मांग-पत्र/2021-22, दिनांक 30 दिसम्बर,2021 द्वारा उक्त कार्य हेतु लागत के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि का 75 प्रतिशत से अधिक का उपभोग होना इंगित किया गया है। एतद्द्वारा उपर्युक्त शासनादेश द्वारा स्वीकृत उक्त कार्य हेतु प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि को समायोजित करते हुए अवशेष देय रू. 33.55 लाख (रूपये तैतीस लाख पचपन हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(रू. लाख में)

कार्य	अनुमोदित लागत	प्रथम किश्त में अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त धनराशि
गोपरी चांदपुर जयराज की दुकान से चांदपुर सूर्यनाथ सिंह के घर तक।	67.10	33.55	33.55

1- सन्दर्भित शासनादेश दिनांक मार्च 25,की शर्तें यथावत लागू रहेगी। 2021
2- प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।
3- परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंकडाकघर में नहीं / य की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी कतानुसार आहरित कर व्यगत धनराशि आवश्यरखी जायेगी। प्रश्न की जायेगी। को धनराशि अवमुक्तसंस्था
4- कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।
5- स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्तमार्च 31 अनाहरित बचती है तो उसे/, कृत धनराशि का से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वी 2022 मार्च 31 जोखा-पूरा लेखा, तक नियोजन अनुभा 2022ग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
6- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उमें अनुरक्षित लेखों से 0प्र0 जून 30 माह में अर्थात 3 तय वर्ष की समाप्ति के पश्चाकराया जायेगा तथा वित्ती :अनिवार्यत,तक 2022 कृत धनराशि केस्वी सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
7- वित्तीय वर्ष 2021-य करते समय कृत धनराशि का व्य स्वीकृत बजट के सापेक्ष उक्तके लिए स्वी 22 -अनुभाग (यकव्य-आय) वित्त1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या :3/2021-बी/1-375-दस/2021-231/2021 दिनांक मार्च 22,में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। 2021

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- उपर्युक्त कार्यों पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40-लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-03-ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरी सड़को के लिए एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22 मार्च, 2021 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(विवेक)
विशेष सचिव।

संख्या:26/2022/77(1)/35-4-2022 तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज (इलाहाबाद)।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज (इलाहाबाद)।
3- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0शासन।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
5- प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0शासन।
6- प्रमुख सचिव, विधान सभा।
7- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
8- मण्डलायुक्त, अयोध्या मण्डल।
9- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0।
10- मुख्य विकास अधिकारी, अम्बेडकरनगर।
11- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अम्बेडकरनगर।
12- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, अम्बेडकरनगर।
14- सम्बंधित अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, अम्बेडकरनगर।
15- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विवेक)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।